



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941

No. 649]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 826(अ).— कतिपय निम्नलिखित प्रारूप नियम केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 58 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति की सिफारिशों पर तथा खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 को अधिकांश करते हुये, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, बनाने का प्रस्ताव करती है और उसको उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका इससे प्रभावित होने की संभावना है तथा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से जिसमें इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियों को जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है, तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो तो उसे अवर सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-II अनुभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है ;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियम के संबन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी सुझाव या आपत्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियम, 2019

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना, प्रारंभ और विस्तार

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियम, 2019 है।
- (2) अभिव्यक्ति रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ये नियम प्रत्येक खान, जिस को खान अधिनियम 1952 लागू होता है, पर लागू होंगे।
- (3) ये संपूर्ण भारत पर विस्तार होंगे।
- (4) ये एक वर्ष उपरांत या उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषा:-

(1) जब तक विषय या प्रसंग प्रतिकूल नहीं हो, तब तक इन नियमों में निम्नलिखित अर्थ समाहित होंगे। ये नियम; विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो,

(क) 'अधिनियम' से खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) 'बोर्ड' से नियम 6 के अन्तर्गत गठित व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) 'समिति' से इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) 'अनुदेशक' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्हता एवं अनुभव रखता हो, खान स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक या प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा नियुक्त हो एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी हो।

(ङ) 'क्षेत्रीय निरीक्षक' से अभिप्रेत है जिसका प्रभारी निरीक्षक:-

(i) जो क्षेत्रीय या स्थानीय क्षेत्र जिसमें खान स्थित है;

(ii) जो खानों का समूह या वर्ग जिससे खान सम्बन्धित है तथा जिन पर वह अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है;

(च) 'सचिव' से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(छ) 'प्रशिक्षक' से अभिप्रेत है खान प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति जो प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेवार है।

(ज) 'प्रशिक्षण अधिकारी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशिक्षण केन्द्र का प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशन कार्य के लिए प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

अध्याय-2

प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्ति

3. नियमों का अनुप्रयोग:-

(1) ये नियम खान में नियोजित सभी व्यक्तियों या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे।

(2) मुख्य खान निरीक्षक के आदेश से तथा लिखित रूप में अभिलेखित कारणों के लिए और ऐसी शर्तों के आधार पर जैसा कि वह उसमें उल्लेख करता है किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के प्रवर्ग अथवा श्रेणी को इन नियमों के अधीन प्रशिक्षण लेने से छूट दे सकता है अथवा आवश्यक मान सकता है।

4. **मुख्य निरीक्षक के निर्णय प्रशिक्षण संबंधी विवादों का निपटान:-** किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के वर्ग अथवा श्रेणी को इन नियमों के अधीन प्रशिक्षण देने या नहीं देने के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे मुख्य खान निरीक्षक के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा।

5. प्रशिक्षण स्कीम

(1) प्रत्येक खान का स्वामी सुनिश्चित करेगा कि खान में नियोजित या नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों, जिसमें किसी खनन कार्य से जुड़े व्यक्ति भी शामिल है, के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण स्कीम तैयार की गई है एवं उसे मुख्य खान निरीक्षक एवं क्षेत्रीय खान निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया है।

परंतु स्वामी के लिखित अनुमोदन के साथ अभिकर्ता प्रशिक्षण स्कीम प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि अपेक्षित हुआ तो मुख्य खान निरीक्षक/क्षेत्रीय खान निरीक्षक स्कीम में संशोधन कर सकता है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्कीम में निम्नलिखित उपबंध शामिल होंगे किंतु वे इसी तक सीमित नहीं रहेंगे, अर्थात् :- (क) खानों में नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों एवं अन्य के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण ; (ख) नियोजित व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्चा प्रशिक्षण;

(ग) नई प्रौद्योगिकी, उपकरण या कार्य-प्रक्रिया में बदलाव लागू किए जाने के मामले में प्रशिक्षण;

(घ) प्रशिक्षण आवश्यकताओं को स्थापित करने के लिए खान में नियोजित कर्मियों की वर्तमान सक्षमता का निर्धारण तथा पूर्व शिक्षण;

(ङ) खनन संचालन के सुरक्षित निष्पादन के लिए खानों में कार्यरत व्यक्तियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करना;

(च) कर्मियों को प्रशिक्षण देने तथा कर्मियों की सक्षमता का मूल्यांकन करने हेतु सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(छ) प्रशिक्षण अभिलेखों का रख-रखाव और अंकेक्षण (ऑडिटिंग);

(ज) प्रशिक्षणार्थी को सुपुर्द काम तथा उसके द्वारा लिए गए काम का अभिलेख;

(झ) मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले संबंधित मानक, माड्यूल या किसी प्रकार का अन्य मार्गदर्शन;

(ञ) व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में दिये जानेवाले व्याख्यान के लिए विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री।

अध्याय-3

व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड

6. व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन:

(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन किया जाएगा तत्पश्चात् बोर्ड कहा गया है।

(2) बोर्ड में मिलकर बनेगा :-

(क) मुख्य खान निरीक्षक जो पदेन अध्यक्ष होगा;

- (ख) खनन/पेट्रोलियम इंजीनियरी में तकनीकी अर्हताएं रखने वाले तीन सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की गई हो और जिन्हें कोयला, धातु और तेल खानों में से प्रत्येक में अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु कम से कम 20 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो;
- (ग) विद्युत/यांत्रिक/सम्बद्ध (allied) इंजीनियरी में तकनीकी अर्हताएं रखने वाले दो सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की गई हो तथा जिन्हें खानों में कम से कम बीस वर्षों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।
- (घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्य जो मानव संसाधन संगठन में कार्यरत रहते हुए इंजीनियरी के विविध व्यापार में प्रशिक्षण दे रहे हों और ऐसे संस्थान में कम से कम पन्द्रह वर्षों से कार्यरत हो अथवा खनन अथवा पेट्रोलियम इंजीनियरी में डिग्री अथवा समतुल्य स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान में कार्यरत हो और बीस वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।
- (3) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष से भिन्न, बोर्ड की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए पद धारक रहेगा या तब तक पदधारक बना रहेगा जब तक कि नियुक्त उत्तराधिकारी कार्य-भार नहीं ग्रहण करता है, इसमें से जो भी बाद में हो:

परंतु :-

- (i) कोई सदस्य किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है;
- (ii) उप-नियम (2) के खंड (घ) के तहत नियुक्त सदस्य उस खंड में वर्णित किसी ऐसे संस्था में काम करना बंद कर देता है तो वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा;
- (iii) किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उपबंध (ii) के तहत कार्य स्थगन के कारण से हुए रिक्त पद को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति लेकिन ऐसे कारण के लिए सदस्यता के शेष बची हुई अवधि के लिए पदधारक बना रहेगा।
- (4) ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य धारक व्यक्ति इस नियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, दो अवधियों की सदस्यता के लिए पुर्ननियुक्त हो सकता है।
- (5) बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष से भिन्न, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिलब्धियाँ प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे।
- (6) मुख्य खनन निरीक्षक द्वारा, इस निमित्त में नामनिर्दिष्ट निरीक्षक, बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (7) इस नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना जरूरी है तो बोर्ड के सभी सदस्य या किसी सदस्य की कार्य-अवधि समाप्ति के पूर्व भी बोर्ड का पुर्नगठन कर सकता है।
- (8) इस नियम में दिए गए प्रावधानों के बावजूद केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसे करना आवश्यक है तो बोर्ड के सदस्यों को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व प्रति स्थापित कर सकती है।
- (9) जब अध्यक्ष ठीक समझे अथवा छः माह में कम से कम एक बार, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर बोर्ड की बैठक का निर्णय किया जाएगा।
- (10) अध्यक्ष सहित बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति में अध्यक्ष को मिलाकर चार सदस्य होंगे।
- (11) (क) अध्यक्ष या सचिव बोर्ड के प्रत्येक प्रस्तावित बैठक का स्थान और तारीख की सूचना बोर्ड के प्रत्येक सदस्य जो भारत में नहीं हैं को कम से कम दस दिन पूर्व देगा।
- (ख) ऐसी सूचना सदस्य के नियमित निवास-स्थान पर दी जाएगी या उनके पास डाक द्वारा भेजा जाएगा जिसमें बैठक में निपटाए जाने वाले काममदों की सूची संलग्न रहेगी।

(ग) खंड (क) और (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुये भी अत्यावश्यकता किसी भी समय सदस्यों को दो दिन पूर्व अग्रिम सूचना पर बैठक की तारीख एवं स्थान तथा चर्चा के लिए विषय वस्तु की जानकारी देते हुए अध्यक्ष बैठक बुला सकता है;

परंतु किसी बैठक में उपनियम (10) में निर्दिष्ट गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो बैठक स्वतः एक तारीख के लिए स्थगित होगी जो सात दिन बाद है, यदि वह दिन भी एक सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो यह बैठक अगले कार्य-दिवस को आयोजित की जाएगी।

परंतु यह और कि, स्थगित बैठक का समय, स्थान एवं कार्यसूची अपरिवर्तित रहेगी।

(घ) जहाँ बैठक गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित है, ऐसी स्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान दिये बिना बैठक की कार्यवाही विधिपूर्ण मानी जाएगी।

(12) (क) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(ख) यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्राधिकृत सदस्य इस बैठक के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा।

(13) गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड की बैठक में किसी भी कामकाज का निपटारा नहीं होगा।

(14) (क) बोर्ड में विचार करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक मामले पर बैठक में विचार किया जाएगा, या, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं तो भारत में मौजूद प्रत्येक सदस्य को कागजात का परिचालन द्वारा किया।

(ख) जब कोई मामला उपनियम 14(क) के खंड (क) में उल्लिखित परिचालन द्वारा संदर्भित किया जाता है तो कोई भी सदस्य इसे बोर्ड की बैठक में विचारार्थ अनुरोध कर सकता है, और अध्यक्ष इसे इसी प्रकार विचारार्थ निदेशित कर सकता है किंतु दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर अध्यक्ष इसे आयोजित की जाने वाले बैठक में विचारार्थ निदेशित करेगा।

(15) (क) सचिव बैठक के समक्ष कारबार संब्यवहार की सूची सौपेगा।

(ख) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना सूची से परे मामले पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(16) (क) बैठक में प्रत्येक मामला पर निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा।

(ख) उप-नियम (14) के तहत परिचालन द्वारा सदस्यों को संदर्भित मामलों पर निर्णय उन्हीं सदस्यों जिसे कागजात परिचालित किया गया था, के बहुमत से लिया जाएगा सिवाय जब अध्यक्ष इसे बाद में आयोजित किए जानेवाले नियमित बैठक के लिए विचारार्थ आरक्षित कर दे।

(ग) यदि सदस्यों के मत अथवा राय बराबर विभाजित हो तो अध्यक्ष निर्णायक मत अथवा राय रखेगा।

(17) (क) सचिव इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त एक जिल्दबद्ध पुस्तिका में दर्ज करेगा तथा वह इसकी प्रतियाँ भारत में मौजूद सभी सदस्यों को परिचालित करेगा।

(ख) अभिलिखित कार्यवृत्त को बोर्ड की अगली बैठक में संपुष्ट किया जाएगा तथा अध्यक्ष उस पर सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक हस्ताक्षर करेगा।

(18) (क) अध्यक्ष इन नियमों के अधीन प्रदत्त अन्य शक्तियों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य करेगा:-

(i) बोर्ड के समक्ष सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामले बैठक से दस दिन पहले प्रस्तुत करेगा;

परंतु आकस्मिक मामले में, विषय-वस्तु को बैठक से दो दिन पहले बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

(ii) बोर्ड में लिए गए निर्णयों के लिए आदेश कार्यान्वित करेगा;

(iii) किसी भी मामले को अपने स्वविवेकानुसार संदर्भित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा;

- (iv) बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई या आदेश जारी करने हेतु शक्तियों का साधारणतः इस्तेमाल करेगा।
- (ख) अध्यक्ष अपनी छुट्टी की वजह या अन्य कारण से अस्थायी अनुपस्थिति के कारण से बोर्ड के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के सभी अन्यथा किसी कृत्य के निष्पादन के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

7. बोर्ड का कार्य: बोर्ड :-

- (क) इसके समक्ष रखे गए किसी मामलों पर सम्बोधन और किसी खान मालिक द्वारा स्वतंत्र व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की अनिवार्य स्थापना के लिए मानदंड निर्धारण, खान में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण का मानक, एक समान मानक बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा।
- (ख) परीक्षा या अन्यथा से व्यक्तियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पता लगाने की रीति का निर्धारण, और आकलन एवं मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर प्रमाण-पत्रों को मंजूरी कर सकेगा।
- (ग) परीक्षा या अन्य रीति से प्रशिक्षण अधिकारियों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और उनके अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों की सक्षमताका पता लगाने की तरीकों का निर्धारण तथा प्रशिक्षण अधिकारियों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और उनके अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों की अर्हता का स्पष्ट उल्लेख कर सकेगा।
- (घ) नियुक्ति का पैमाना (स्केल) स्तर और अनुदेशकों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (ङ) प्रशिक्षण केंद्रों की प्रणाली और मानक का निर्धारण, प्रशिक्षण केंद्रों का अनुमोदन का मानदंड तथा निलंबन या रद्दीकरण ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का सभी पहलुओं की लेखा परीक्षा एवं निगरानी प्रणाली विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (च) प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अपेक्षा का आकलन करने की रीति और उनके प्रशिक्षण के उपरांत मूल्यांकन की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (छ) एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के तहत एक से अधिक खानों के लिए सेवा का उपबंध कर सकेगा। ।
- (ज) खानों में कार्यरत व्यक्तियों के प्रशिक्षण के बारे में बोर्ड को भेजे गए किसी अन्य मामले में उपबंध कर सकेगा।

अध्याय-4

साधारण व्यावसायिक प्रशिक्षण

8. क्षेत्र और मानक:- (1) प्रत्येक खान का स्वामी या अभिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि खान में नियोजित होने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक व्यक्ति नियोजन के पूर्व नियम 3 में यथा-विनिर्दिष्ट नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रशिक्षित किया जायेगा :

परंतु उस व्यक्ति के मामले में, जो अन्य खान में पहले से नियोजित हैं, खान स्वामी सुनिश्चित करेगा कि इन व्यक्ति को नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण में इस प्रकार का अतिरिक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए प्रशिक्षण दिया जाए।

अध्याय-5

पुनश्चर्या प्रशिक्षण

9. क्षेत्र और मानक:- खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को नियम 5 में यथा-विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रत्येक चार वर्षों में कम से कम एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण (रीफ्रेशर ट्रेनिंग) दिया जायेगा :

परन्तु मुख्य खान निरीक्षक लिखित आदेश तथा ऐसी शर्तों जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण अन्तराल को घटा-बढ़ा सकेगा।

10. पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था :-पुनश्चर्या प्रशिक्षण की इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी कि व्यक्ति पूरे दिन की निर्मुक्त प्रणाली के आधार पर सामान्य काम के घंटे के दौरान प्रशिक्षण पा सके :

परंतु मुख्य खान निरीक्षक सामान्य या विशेष लिखित आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी भी खान को इस नियम से छूट दे सकेगा।

11. विशेष प्रशिक्षण:- (1) यदि नई प्रौद्योगिकी, उपकरण और कार्यप्रणाली, जिसके लिये प्रशिक्षण मानक अधिसूचित नहीं हैं, को खान में लागू किया जाता है, खान मालिक स्वामी या अभिकर्ता या प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि इस व्यवस्था को लागू करने के कम से कम साठ दिन पूर्व प्रशिक्षण माड्यूल मुख्य खान निरीक्षक को सौंपा जा चुका है।

(2) इस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपकरण और कार्यप्रणाली में नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों को नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण स्कीम के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

12. लंबी अनुपस्थिति या दुर्घटना या कार्य परिवर्तन के उपरान्त व्यक्तियों का प्रशिक्षण:- जब कभी कोई व्यक्ति कार्य पर एक वर्ष से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के उपरान्त खान में नियोजन हेतु वापस लौटता है या किसी गंभीर दुर्घटना या खतरनाक घटना जिससे उसकी जान-माल को खतरा हो सकता था, से प्रभावित होने के उपरान्त या पूर्व में उसके द्वारा किये जा रहे कार्य से भिन्न कार्य हेतु पुनःनियोजित किया जाता है, उसे अपने नियोजन के पूर्व नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रशिक्षण से गुरजना होगा।

अध्याय-6

प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशिक्षण के बन्दोबस्त

13. प्रशिक्षण केन्द्र(1) प्रत्येक खान का स्वामी उक्त खान में नियोजित या नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने प्रयोजन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कर उनका रख-रखाव करेगा :

परंतु मुख्य खान निरीक्षक लिखित आदेश तथा उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन लिखित कारणों दशाते हुए एक ही खान स्वामी के दो अथवा दो से अधिक खानों कि लिए एक उभयनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र प्राधिकृत कर सकेगा:

परन्तु और यह कि मुख्य खान निरीक्षक लिखित अनुज्ञा और शर्तों के अधीन एक से अधिक खानों में प्रशिक्षण के लिये कई खान स्वामियों के समूह के लिये एक उभयनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र बना सकता है तथा उसका रख-रखाव कर सकेगा:

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी मुख्य खान निरीक्षक समय समय पर राजपत्र में निर्धारित सुविधाओं एवं अवसंरचना वाले एवं किसी विधि के तहत स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र को मंजूरी दे सकता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन, प्रपत्र में भर कर बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर मुख्य निरीक्षक द्वारा अधिसूचित फीस के साथ जमा किया जायेगा।

14. प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था:-मुख्य खान निरीक्षक द्वारा अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में कर्मचारीवृंद, उपकरण और अन्य सुविधाएं होगी।

15. प्रशिक्षण अधिकारी :- (1) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए खान स्वामी या अभिकर्ता एक प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जो केन्द्र का प्रभारी होगा :

परंतु किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में जैसा कि नियम 13 (2) में दिया गया है, प्रशिक्षण केन्द्र का प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) उप-नियम(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहाँ प्रशिक्षण अधिकारी अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से तीस दिनों तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होता है, वहां उप-नियम (1) में वर्णित स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या सक्षम प्राधिकारी समान अर्हताधारक किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण अधिकारी के स्थान पर कार्य करने के लिए लिखित तौर पर प्राधिकृत कर सकेगा।

16. प्रशिक्षण अधिकारी के कर्तव्य :-

- (1) प्रशिक्षण अधिकारी का निम्नांकित कर्तव्य होगा:-
 - (i) इन नियमों का अनुसरण करते हुए अपनी देख-रेख में प्रशिक्षण पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रशिक्षण का आयोजन एवं पर्यवेक्षण करना;
 - (ii) प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को निर्धारित करने में वर्तमान सक्षमता तथा पूर्व शिक्षण की पहचान करना;
 - (iii) व्यक्तियों के विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रशिक्षण स्कीम के अधीन बनाये गये माड्यूल/पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित करना एवं यह सुनिश्चित करना कि अनुदेशक मानक पाठ्य सामग्री पर व्याख्यान देते हैं तथा प्रशिक्षक मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देते हैं;
 - (iv) प्रत्येक व्यक्ति को दिये गये प्रशिक्षण का लेखा-जोखा रखना तथा प्रशिक्षणरत व्यक्तियों के प्रगति पर खान प्रबंधक को मासिक रिपोर्ट देना;
 - (v) नियम 18 में निर्दिष्ट वास्तविक संचालन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में पर्यवेक्षण का अभिलेखों को रखना तथा
 - (vi) इन नियमों के उचित अनुपालन हेतु ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करना जो अपेक्षित समझा जाए।
- (2) प्रत्येक प्रशिक्षण अधिकारी अपने कार्य का अभिलेख रखेगा तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रशिक्षण केन्द्र के स्वामी, अभिकर्ता, या खान प्रबंधक या सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य खान निरीक्षक या क्षेत्रीय खान निरीक्षक को वर्ष के दौरान किए गये कार्य की रिपोर्ट का सारांश अग्रसारित करेगा।

17. अनुदेशक:-स्वामी या अभिकर्ता या खान प्रबंधक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण अधिकारी के अधीन नियम 19 के अधीन निर्दिष्ट अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी अनुदेशक पर्याप्त संख्या में नियुक्त करेंगे।

18. प्रशिक्षक:- (1) नियम 5 में निर्दिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए, खान में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संचालन में नियोजित उचित प्रवर्ग के अनुभवी व्यक्ति जिसे यहां प्रशिक्षक के रूप में तत्पश्चात निर्दिष्ट कहा गया है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रखा जायेगा।

19. अनुदेशकों और प्रशिक्षकों की अर्हताए:-

- (1) कोई व्यक्ति अनुदेशक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक वह मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्हता, प्रशिक्षण और अनुभव रखता न हो।
- (2) अनुदेशक और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले कुशल और अनुभवी व्यक्ति होंगे।

20. अनुदेशक का कर्तव्य :-

- (1) अनुदेशक कर्मियों की क्षमता का मूल्यांकन करेगा;
- (2) प्रत्येक व्यक्ति को दी जानेवाली प्रशिक्षण का रिकार्ड रखेगा तथा प्रशिक्षणरत व्यक्तियों की प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रशिक्षण अधिकारी को देगा।

21. प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षणरत व्यक्तियों के कर्तव्य:-

- (1) प्रशिक्षक अपने नियंत्रणाधीन प्रशिक्षणरत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (2) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन प्रशिक्षणरत व्यक्ति कार्य करने में दक्ष हो रहा है, कार्य से जुड़ी खतरों से भली-भांति परिचित हैं तथा वे ऐसी आदतें डालें जिनसे खान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके,

- (3) प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षणरत व्यक्ति खान में उसके साथ साथ चलते हैं;
- (4) प्रत्येक प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन प्रशिक्षणरत व्यक्ति संभावित कार्यस्थल वाले सेक्शन से भागने के रास्ते से तथा प्रशिक्षु के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया से अवगत हैं;
- (5) प्रत्येक प्रशिक्षणरत व्यक्ति प्रशिक्षण के दौरान अपने प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करेगा, जिसके प्रभार अधीन उसे रखा गया है।
- 22. प्रशिक्षण भत्ता-**(1) प्रत्येक प्रशिक्षक अपने सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त प्रतिदिन एक प्रशिक्षक को उनके देख-रेख में दिया जानेवाले प्रशिक्षण के लिए मुख्य खान निरीक्षक द्वारा राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण भत्ता खान स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक से प्राप्त करेगा।
- (2) प्रत्येक अनुदेशक अपनी सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त उसके द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रतिदिन प्रशिक्षण देने हेतु मुख्य खान निरीक्षक द्वारा राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण भत्ता खान स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक से प्राप्त करेगा।
- (3) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित आधार पर नियुक्त अनुदेशक उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट भत्ते का हकदार नहीं होगा।

23. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र:-

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा कर रहा होता है, उसके प्रशिक्षण के समाप्ति पर उसका मूल्यांकन किया जायेगा और प्रशिक्षक के मान्य प्रदर्शन के आधार पर उसे प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
- (2) जहां प्रशिक्षक अधिकारी को किसी भी प्रशिक्षु की प्रगति या प्रदर्शन से समाधान नहीं प्राप्त होता, वहां वह इसकी रिपोर्ट प्रबंधक को देगा, जो उसके आगामी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
- (3) प्रत्येक खान का प्रबंधक प्रशिक्षण के सफल समापन से समाधान प्राप्त होने के पश्चात् प्रमाण पत्र पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।

24. प्रबंधन को सुपुर्द किया जाने वाला प्रमाणपत्र :खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति:

- (i) यदि वह अपने नियोजन के पूर्व प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो, और
- (ii) यदि वह नियोजन के दौरान खान प्रबंधक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो, तो वह इन नियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्र को खान प्रबंधक को सुपुर्द करेगा, जो उस प्रमाणपत्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हुए उसकी पावती निर्गत करेगा।
- (iii) नियोजन की समाप्ति पर जमा किया गया प्रमाणपत्र नियोजित व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा।

अध्याय- 7

प्रकीर्ण

- 25. निरीक्षण:-** मुख्य खान निरीक्षक या अन्य निरीक्षक इन नियमों के उपबंधों और इसके तहत निर्गत किसी भी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र या इसके किसी हिस्से के अधीन यथोचित जॉच-पड़ताल, निरीक्षण कर सकता है।
- 26. शिथिल देने की शक्ति:-**जहां मुख्य खान निरीक्षक की राय से यदि किसी खान या उसके किसी हिस्से का परिस्थिति ऐसी है कि इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करना आवश्यक या अव्यवहारिक है, तो वह लिखित आदेश तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत उस खान या उसके भाग को यथा उपरोक्त उपबंधों के अनुपालन से छूट दे सकता है।

27. बंद अथवा कार्य स्थगित करने की सूचना :— सूचना-यदि इस नियम के तहत स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र को बंद करने का विचार किया जाता है या इसके कार्य को साठ दिनों से अधिक अवधि तक स्थगित रखा जाता है, तो खान स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक मुख्य खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार मुख्य खान निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक को बंद या कार्य स्थगित करने का कारण बताते हुए कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना देना होगी।

परंतु अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से प्रशिक्षण केन्द्र को उक्त सूचना दिए बगैर बंद किया जाता है या उसके कार्य को स्थगित किया जाता है या पूर्व विचार किए बिना उसके कार्य स्थगन की अवधि साठ दिनों से अधिक हो जाती है, तो स्वामी, अभिकर्ता या खान प्रबंधक इसकी सूचना तत्काल देगा।

[फा. सं. एस-29012/01/2018-आई.एस.एच.-II]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

G.S.R. 826(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 58 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), on the recommendations of the Committee constituted under section 12 of the said Act, and in supersession of the Mines Vocational Training Rules, 1966, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, is hereby published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Industrial Safety and Health-II Section, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the said period specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT MINES VOCATIONAL TRAINING RULES

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, application, commencement and extent.**—(1) These rules may be called the Mines Vocational Training Rules, 2019.
 - (2) Save as otherwise expressly provided, these rules shall apply to every mine to which the Mines Act, 1952 (35 of 1952) applies.
 - (3) They extend to the whole of India.
 - (4) They shall come into force after one year or on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. **Definition.**— (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—
 - (a) "Act" means the Mines Act, 1952 (35 of 1952);
 - (b) "Board" means a board of vocational training constituted under rule 6;
 - (c) "Committee" means a committee constituted by the Board under these rules;
 - (d) "Instructor" means any person who is appointed by the Owner, Agent, Manager or Training Officer having such qualification and experience as may be specified by the Board who shall be responsible to impart training in Vocational Training Centre;

- (e) "Regional Inspector" means the Inspector of Mines incharge of-
- (i) the region or local area or areas in which mine is situated; or
 - (ii) the group or class of mines to which the mine belongs and over which he exercises powers under the Act;
- (f) "Secretary" means the Secretary of the Board;
- (g) "Trainer" means a person authorised by the Manager of the mine who shall be responsible to impart practical training to the trainees;
- (h) "Training Officer" means any person who is appointed for the purpose of management, control, supervision and direction of the training centre as in charge of training centre;
- (2) Words and expression used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

PERSONS TO BE TRAINED

- 3. Application of rules.**— (1) These rules shall apply to all persons employed or to be employed in a mine.
- (2) The Chief Inspector may, by order and for reasons to be recorded in writing, and subject to such conditions as he may specify therein, exempt or require any person, class or category of persons from undergoing any training under these rules.
- 4. Chief Inspector to decide disputes regarding training.**— If any question arises as to whether a particular person or class or category of persons is required by these rules to undergo training or not, the same shall be referred to the Chief Inspector for decision.
- 5. Training Scheme.**— (1) The owner of every mine shall ensure that a training scheme comprising of theory and practical is prepared and submitted to the Chief Inspector of Mines and Regional Inspector of Mines for persons employed or to be employed in the mine including the persons connected with any work:
- Provided that the agent of the mine may submit the training scheme with the approval of the owner in writing.
- (2) The Chief Inspector of Mines or Regional Inspector of Mines may make modification in the scheme, if required.
- (3) The scheme referred to in sub-rule (1) shall include, but not limited to, the following provisions, namely:-
- (a) initial training for the persons to be employed in the mines and others;
 - (b) refresher training for the persons already employed;
 - (c) training in case of introduction of new technology, equipment or change in work procedure;
 - (d) assessing the current competency of a person employed in the mine and prior learning, in establishing the person's training needs;
 - (e) assessing the training need of persons working in mines for the safe performance of the mining operations;
 - (f) appointing persons who are competent to give training and assessing workers' competency;
 - (g) keeping and auditing records of training;
 - (h) keeping records of assessment given and undertaken by the trainee;
 - (i) the relevant standards, modules or any other guidelines issued in this behalf by the Chief Inspector of Mines from time to time;
 - (j) course material on various topics for different categories of persons for delivering lectures in vocational training centre.

CHAPTER III

BOARD OF VOCATIONAL TRAINING

- 6. Constitution of the Board of Vocational Training.**—(1) For the purpose of these rules, there shall be constituted a Board of Vocational Training, hereinafter called as Board.

(2) The Board shall consists of –

(a) the Chief Inspector of Mines, who shall be its Chairperson, *ex officio* ;

(b) three members possessing technical qualification in mining or petroleum engineering and having at least twenty years' practical experience, one each in coal mines, metal mines, and oil mines to represent each sector appointed by the Central Government;

(c) two members to be appointed by Central Government, possessing technical qualifications in electrical engineering or mechanical engineering or allied engineering and having at least twenty years of practical experience in mines;

(d) two members to be appointed by Central Government, serving in human resource organization, imparting training in different trades of engineering and having at least fifteen years' of experience serving in such organisation, or serving in an institution imparting education in mining or petroleum engineering at the degree or equivalent level and having twenty years' of experience.

(3) Every member, other than the Chairperson, of the Board shall hold office for a period of three years from the date of the notification appointing him a member of the Board, or until his successor is appointed and takes charge, whichever is later:

Provided that –

(i) a member may at any time resign his office;

(ii) a member appointed under clause (d) of sub-rule (2) shall cease to hold office upon his ceasing to serve in any such institution, as is referred to in that clause;

(iii) a person appointed to fill a vacancy caused by reason of the death or resignation of a member, or by reason of ceasing of office under sub-clause (ii), shall hold office for the remaining period for which such member would have, but for such reason, continued as member.

(4) A person who holds, or who has held, office as member of the Board shall, subject to the other provisions of this rule, be eligible for re-appointment to that office not more than two terms.

(5) A member of the Board, other than the Chairperson, shall receive such remunerations as the Central Government may fix.

(6) An Inspector nominated in this behalf by the Chief Inspector shall act as Secretary to the Board.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may, if satisfied that it is necessary so to do in the public interest, re-constitute the Board even if the term of office of all or any of the members thereof has not come to an end.

(8) Notwithstanding anything contained in this rules, the Central Government may, if satisfied that it is necessary so to do in the public interest, replace a member of the Board even if the term of office of the member thereof has not come to an end.

(9) Meeting of the Board shall be held as and when the Chairperson considers it necessary and atleast once in six months at a place decided by the Chairperson.

(10) The quorum of the meeting of the Board shall be four members including the Chairperson.

(11)(a) For every meeting of the Board, the Chairperson or the Secretary shall give to every member who is not absent from India, a prior notice in writing of not less than ten clear days, intimating the time and place of the proposed meeting;

(b) The notice shall be delivered at, or posted to the usual place of residence of the member, and each such notice shall be accompanied by a list of items of business to be disposed of at that meeting;

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), in case of urgency the Chairperson may call at any time, an emergent meeting by intimating the members in writing, only two days in advance, of the time and date of such meeting and the subject matter for discussion at such meeting;

Provided that if at any meeting there is no quorum as referred in sub-rule (10), the meeting shall stand adjourned to a date which is seven days later or if that day is a public holiday to the next working day.

Provided further that the time, place and agenda for the adjourned meeting shall remain unchanged.

(d) Where the meeting stands adjourned for lack of quorum, it shall be lawful to dispose of the business at such meeting irrespective of the number of members attending.

(12)(a) The Chairperson shall preside at every meeting of the Board.

(b) If the Chairperson is absent for any reason, the Chairperson shall authorise a member to preside over the meeting, and the member so authorized shall, for the purposes of that meeting, have all powers of the Chairperson.

(13) No business shall be transacted at a meeting of the Board if there is no quorum.

(14) (a) Every matter which the Board is required to consider shall be considered at its meeting, or, if the Chairperson so decides, by circulation of the papers, to every member who is not absent from India.

(b) When any matter is referred to by circulation as mentioned in clause (a) of sub-rule 14(a), any member may request that it should be considered at a meeting of the Board and the Chairperson may direct that it shall be so considered but when two or more members so request, the Chairperson shall direct that it shall be so considered at a meeting to be held.

(15)(a) The Secretary shall place before the Board, a list of business to be transacted at the meeting.

(b) No business which is not included in such list shall be considered unless the Chairperson permits.

(16)(a) Every matter at a meeting shall be decided by a majority of votes of the members present at such meeting.

(b) Every matter referred to the members by circulation under sub-rule (14) shall be decided by a majority opinion of the members to whom the papers were circulated, unless the Chairperson reserves it for consideration at a regular meeting to be held later.

(c) In case of equal division of votes or opinion of the members, the Chairperson shall have a casting vote or opinion.

(17)(a) The Secretary shall record the minutes of each meeting in a bound-paged book kept for the purpose and he shall circulate to all members present in India the copies of such minutes of the meeting.

(b) The minutes so recorded shall be confirmed at the next meeting of the Board and signed by the Chairperson in token thereof.

(18) (a) The Chairperson in addition to any other powers and functions conferred upon him under these rules, shall-

(i) present all important papers and matters to the Board at least ten days before the meeting:

Provided that in case of urgency, the subject matter may be placed before the Board two days before the meeting;

(ii) issue orders for carrying out the decisions of the Board;

(iii) have power to refer, in his discretion, any matter to the Central Government for its orders; and

(iv) have power generally to take such action or pass such order necessary to implement the decisions of the Board.

(b) The Chairperson may, during his temporary absence by reason of leave or otherwise, authorise any member of the Board to perform all or any of the functions of the Chairperson during such absence.

7. Functions of the Board.-The Board may-

(a) constitute a committee to address any matter put before it and for specifying criteria for the establishment of independent vocational training centre by the owner of a mine, standard of training to the persons working in a mine to maintain uniform standards;

(b) specify the manner of ascertaining, by examination or otherwise, the quality of training to the persons, granting certificates by a system of assessment and evaluation;

(c) specify the manner of ascertaining, by examination or otherwise, the competency of training officers, instructors, trainers and persons acting under them and specifying qualification of training officers, instructors, trainers, and persons acting under them;

(d) specify the scale of appointment and manner of training of Instructors and trainers;

(e) specify the system and standard of training centres, criteria for approval and suspension or cancellation of training centre and auditing and monitoring of all aspects of such training centres;

(f) specify the manner of assessing training requirement of trainees and their post-training evaluation process;

(g) make provisions for catering more than one mine, under one vocational training centre;

(h) make provisions for any other matter regarding training of persons working in a mine.

CHAPTER IV

GENERAL VOCATIONAL TRAINING

8. Scope and Standard.- (1) The owner or agent of every mine shall ensure that every person proposed to be employed in a mine as specified in rule 3 shall, before he is employed, be imparted training as per the training scheme as specified in rule 5:

Provided that in case of a person who is already in employment in other mine, the owner shall ensure that such person is imparted training covering such additional course of training as specified in rule 5.

CHAPTER V REFRESHER TRAINING

9. **Scope and Standard.** – Every person in employment in a mine shall undergo the refresher training at least once in four years in accordance with the training scheme as specified in rule 5:

Provided that the Chief Inspector of Mines may by order in writing and subject to such conditions as he may specify therein increase or decrease the interval of refresher training.

10. **Arrangement for Refresher Training.** - The refresher training shall be so arranged that the persons shall undergo training during normal working hours on full day release system:

Provided that the Chief Inspector of Mines may, by general or special order in writing, and subject to such conditions as may be specified, exempt any mine from the provisions of this rule.

11. **Special Training.**-(1) If new technology, equipment and system of work for which training standards are not notified is introduced in the mine, the owner or agent or manager shall ensure that the training module is submitted to the Chief Inspector of Mines at least sixty days before such introduction.

(2) The Persons to be employed in such technology, equipment and system of work shall undergo training as per the training scheme specified in rule 5.

12. **Training of persons after long absence or after an accident or change of job.**- Wherever a person returns to employment in a mine, after an absence from work for a period exceeding one year, or returns to work after being involved in a serious accident, or in a dangerous occurrence which could have resulted in threat to life and safety, or is re-employed on a job which is different from what he had been performing earlier, he shall undergo training before employment in accordance with the training scheme specified in rule 5.

CHAPTER VI TRAINING CENTRES AND ARRANGEMENTS FOR TRAINING

13. **Training Centre.**-(1) The owner of every mine shall provide and maintain a training centre which shall be adequate for the purpose of imparting the training required to be undergone by the persons who are employed or to be employed in that mine:

Provided that the Chief Inspector of Mines may, by order and for the reasons to be recorded in writing, and subject to such conditions as he may specify therein, authorise that a common training centre may be provided and maintained in respect of two or more mines of the same owner:

Provided further that the Chief Inspector of Mines may permit in writing, subject to such conditions as he may specify therein, a common training centre owned and maintained by a group of owners for imparting training in more than one mine.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chief Inspector of Mines may approve a training centre established under any law and having such infrastructure and facilities as specified by the Chief Inspector of Mines in Official Gazette from time to time.

(3) Every application for approval under sub-rule (2) shall be made in a proforma and accompanied by a fee specified by the Board and notified by the Chief Inspector of Mines from time to time by notification in Official Gazette.

14. **Arrangements for the Training Centre.**- Every training centre shall have such staff, equipments and other facilities as may be notified by the Chief Inspector of Mines.

15. **Training Officer.**- (1) The owner or agent of a mine shall appoint a training officer who shall be in charge of the centre.

Provided that in case of any approved training centre as specified in sub-rule (2) of rule 13, a person responsible for the management, control, supervision or direction of the training centre may appoint the training officer .

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the training officer is unable to perform his duties by reason of temporary absence, illness or other cause not more than thirty days, the owner, agent or manager or the person specified in sub-rule (1) may authorise in writing any other person having similar qualifications to act in his place.

16. **Duties of Training Officer.**- (1) It shall be the duty of the training officer-

(i) to organise and supervise the training of every person undergoing training under him in pursuance of these rules;

- (ii) to recognise current competency and prior learning in establishing the training needs;
- (iii) to ensure training as per the modules or curriculum prepared under the training scheme for different categories of persons and ensure that the instructors deliver lectures on standard course material and the trainers impart training in accordance with the standard;
- (iv) to maintain records of the training given to every person and to furnish monthly reports to the manager of the mine on the progress of the persons undergoing training ;
- (v) to maintain records of the supervision in respect of the practical training on actual operations referred to in rule 18; and
- (vi) to discharge such other duties as may be necessary for proper compliance of these rules.

(2) Every training officer shall keep a record of his work and shall, at the end of every year, forward to the Chief Inspector of Mines or the Regional Inspector of Mines having jurisdiction over the training centre, through the owner, agent or manager of the mine or the competent authority of the centre concerned, a summary of the report of his work during the year.

17. Instructors.-The owner or agent or manager of a mine shall appoint sufficient number of instructors having qualification and experience as specified under rule 19 to impart training in Vocational Training Centre.

18. Trainers.- For the purposes of the practical training referred to in rule 5, every person to be employed in a mine shall be placed under the direct supervision of an experienced person of an appropriate category, employed on operations hereinafter referred to as trainer.

19. Qualification of instructors and trainers.- (1) No person shall function as an instructor or trainer unless he possesses qualification, training and experience as may be specified by the Board and notified by the Chief Inspector of Mines from time to time.

(2) Instructors and trainers shall have skill and experience having aptitude required for the job of training.

20. Duties of Instructor.- The instructor shall:-

- (i) assess workers competency;
- (ii) maintain records of training given to every person and to furnish weekly report to the training officer on the progress of the persons undergoing training.

21. Duties of trainer and persons undergoing training.- (1) The trainer shall be responsible for the safety of the persons undergoing training under him.

(2) The trainer shall ensure that the persons put under his charge for training, pick up work, understand the dangers inherent in the job and develop habits, which would ensure safety in mines.

(3) The trainer shall ensure that the persons undergoing training, move within the mine along with him.

(4) Every trainer shall ensure that the persons undergoing training under him, is aware of escape route from the sections where he is likely to work and other emergency response applicable to the trainee.

(5) Every person undergoing training shall, whilst under training, comply with the directions of the trainer under whom he is put in charge.

22. Training Allowance.-(1) Every trainer shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager of a mine, a training allowance for every day a trainee has worked under his supervision as may be specified by the Board and notified by the Chief Inspector of Mines from time to time in Official Gazette.

(2) Every Instructor shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager of a mine, training allowance for every day he has imparted training in Vocational Training Centre, as may be specified by the Board and notified by Chief Inspector of Mines from time to time in Official Gazette.

(3) The Instructor appointed on a regular basis in the Vocational Training Centre shall not be entitled to the allowance specified in sub-rule (2)

23. Certificate of Training. - (1) Every person who undergoes a course of training specified in these rules shall, on completion of the training be assessed and subject to acceptable performance of the trainee, be granted a certificate.

(2) Where the training officer is not satisfied with the progress or performance of any trainee, he shall report the same to the manager of the mine, who may arrange to give him further training.

(3) The Manager of every mine shall sign and specify the date on the certificate after being satisfied of the successful completion of training.

24. Certificate to be delivered to the Management.- Every person employed in a mine shall - (i) if he has obtained training certificates prior to such employment; and

(ii) if he has obtained certificates during the course of employment, within such time as may be specified by the manager of the mine, deliver the certificate issued to him under these rules, to the manager of the mine who shall keep the certificate in safe custody and issue a receipt for the same.

(iii) on the termination of employment, the certificate so deposited shall be returned to the employee.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

25. Inspection.- The Chief Inspector of Mines or any Inspector of Mines may enter, inspect and examine any training centre or any part thereof and make such examination or inquiry as he thinks fit in order to ascertain whether the provisions of these rules and of any orders made thereunder are being complied with.

26. Power to relax.- Where in the opinion of the Chief Inspector of Mines, the conditions pertaining to a mine or part thereof is such as to render compliance with any provision contained in these rules unnecessary or impracticable, he may, by an order in writing, and subject to such conditions as he may specify therein, exempt the mine or part thereof, as the case may be, from the said provisions.

27. Notice of closure or discontinuance.- When it is intended to close a training centre established under these rules or to discontinue the working thereof for a period exceeding sixty days, the owner, agent or manager of a mine shall give a notice in the method as may be specified by the Chief Inspector of Mines for the purpose, to the Chief Inspector of Mines or the Regional Inspector of Mines, stating the reasons for such closure or discontinuance, not less than thirty days before such abandonment or discontinuance:

Provided that the owner or the agent or the manager of the mines shall give notice in writing forthwith, when on account of unforeseen circumstances, a training centre is closed or discontinued before the said notice has been given or without previous intention the discontinuance extends to a period of sixty days.

[F. No. S-29012/01/2018-ISH-II]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.